जनसंपर्क संचालनालय हेतु
ई–रिक्शा/ऑटो–रिक्शा किराये के लिए अल्पकालीन
निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक–4485 नवा रायपुर, दिनांक–18/11/2021

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 200/– (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 10,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.11.2021 समय 1:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.11.2021 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.11.2021 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर–अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2221614

Web :- www.dprcg.gov.in & www.cg.nic.in/dpr

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर–अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2221614

———

क्रमांक 4485/जसंसं/भण्डार/2021 नवा रायपुर, दिनाक 18/11/2021

ई–रिक्शा/ऑटो–रिक्शा किराये के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसढ़ रायपुर के उपयोग हेतु मासिक किराये एवं समय–समय पर ई–रिक्शा/ऑटो–रिक्शा की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा ई–रिक्शा/ऑटो–रिक्शा वाहन उपलब्ध कराने हेतु रायपुर नगर–निगम क्षेत्र के फर्मों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र जनसंपर्क संचालनालय में राशि रू. 200/– (वापसी योग्य नहीं) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है या जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाईट www.dprcg.gov.in से प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के साथ रशीद या डीडी जमा करना अनिवार्य है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।

(1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि– 30/11/2021 समय दो 01:00 बजे तक।
(2) पूर्णतः भरे निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि–30/11/2021 दोपहर 2:00 बजे तक।
(3) प्रपत्र खोले जाने की तिथि– 30/11/2021 दोपहर 3:00 बजे से।

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
नवा रायपुर

जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो एवं ऑटो–रिक्शा किराये पर लगाने हेतु निविदा नियम शर्तें

1. निविदाकर्ता का रायपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास स्थान होना चाहिए। निविदा के साथ उसे इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निवास प्रमाण के रूप में बिजली बिल/राशनकार्ड/मतदाता परिचय पत्र किराए पर निवास होने पर मकान किराया अनुबंध की छायापत्रि संलग्न की जाए। जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
2. जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर की लेखा शाखा में जमा की गई निविदा फार्म की कीमत रू. 200/– (रूपए दो सौ), (वापसी योगय नहीं) की राशि की शासकीय रसीद की जानकारी।
3. निविदाकर्ता संस्था को अमानत राशि रूपए 10,000/– (रूपए दस हजार मात्र) (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक – संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के नाम से तैयार कर जमा करना होगा, जिसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी।
4. निविदाकर्ता के पास स्वयं के स्वामित्व का ई–रिक्शा/आटो रिक्शा होना चाहिए। निविदा के साथ संबंधित आटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन बुक की छायाप्रति भी संलग्न होना चाहिए।
5. निविदा के साथ निविदाकर्ता अपने ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा चालकों की सूची पूरे नाम पते के साथ एवं उनके ड्रायविंग लाईसेंस की छायाप्रति भी संलग्न करेंगे। ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा चालक को कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
6. सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा वाहन मॉडल 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। वाहन का इंश्योरेंस अनिवार्य है।
7. वाहन के पेट्रोल, डीजल, आईल एवं टूट–फूट की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। इसके लिए विभाग किसी प्रकार की राशि वहन नहीं करेगा।
8. ई–रिक्शा में पर्याप्त बैटरी एवं चार्जिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
9. ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा वाहन में सही स्थिति (चालू हालत) में माइलेज मीटर लगा रहना अनिवार्य होगा। मीटर खराब होने पर तत्काल बदलना अनिवार्य होगा,

अन्यथा सही स्थिति में माइलेज मीटर नहीं होने पर भुगतान की कार्यवाही की जाना संभव नहीं होगा।

10. विभाग की संपूर्ण डाक वितरण की जिम्मेदारी एवं उन्हें गतंव्य स्थान पर पहुंचाने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा का उपयोग डाक वितरण, फाईल वितरण के अलावा अन्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु किया जा सकता है।
11. लॉग बुक निविदाकर्ता के द्वारा भरी जावेगी एवं सक्षम अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। देयक प्रस्तुत करते समय लॉग बुक मूल प्रति एवं छायाप्रति में प्रस्तुत करना होगा, इसके अभाव में देयक स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. वाहन चालक को विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से शिष्ट एवं शालीन व्यवहार करना होगा।
13. ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा खराब होने पर तत्काल दूसरा ई–रिक्शा/आटो रिक्शा लगाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता/संस्था/स्वामी की होगी।
14. ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो/आटो रिक्शा जनसम्पर्क संचालनालय की समाचार शाखा, फोटो शाखा एवं अन्य शाखाओं में प्रातः 10:30 बजे से कार्यालयीन कार्य समाप्ति तक एवं पत्र परीनिरीक्षण शाखा में प्रातः 06:30 बजे से या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यरत रहेगा। ई–रिक्शा/ आटो रिक्शा से फाईल/डाक वितरण हेतु नया रायपुर (महानदी भवन) मंत्रालय, विभागाध्यक्ष भवन (इंद्रावती भवन) भी भेजा जाएगा एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय वाहन चालक को कार्य हेतु बुलाने की सूचना देने पर अविलम्ब उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
15. उपरोक्त निविदा शर्तों में से किसी भी प्रकार के प्रपत्रों में कमी पाए होने पर निविदा अमान्य की जावेगी।
16. निविदा की अवधि निविदा अनुमोदन तिथि से सामान्यतः तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। कार्य संतोषजनक होने पर इस निविदा के नियम–शर्त एवं अनुमोदित न्युनतम दर पर नवीन निविदा अनुमोदन होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनंसपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।
17. देयक का नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

18. निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा टेक्निकल बिड का होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/– की पावती, अमानत राशि रू. 10,000/– की डिमाण्ड ड्राफ्ट, निवास संबंधी दस्तावेज की प्रति, स्वयं के स्वामित्व के ई–रिक्शा/ऑटो रिक्शा पंजीयन की प्रति, रोड टैक्स, बीमा, पैन कार्ड की प्रति आदि, वाहन चालकों की सूची, बायोडाटा एवं लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत करना है एवं लिफाफे के उपर निविदाकर्ता का नाम एवं टेक्निकल बिड उल्लेख करना होगा। दूसरा लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना होगा एवं इस लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में मात्र दर प्रस्तुत करना है। टेक्निकल बिड लिफाफा में दर प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य किया जायेगा।

19. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 30/11/2021 को दोपहर 01.00 बजे तक एवं जमा करने की अंतिम तिथि 30/11/2021 को दोपहर 02 बजे तक है, इसी दिन निविदा 03.00 बजे खोली जाएगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

20. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकर्ता को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है।

21. किसी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा आयुक्त/संचालक, जनंसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जावेगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने, नियम शर्तों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

23. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर सचिव/आयुक्त, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

24. निविदा से संबंधित किसी भी विवाद के लिए न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

(रूपये 50/– के स्टॉम पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र निविदा के टेक्नीकल बिड में जमा करना होगा)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... फर्म का नाम .... जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर द्वारा **ई–रिक्शा/आटो रिक्शा किराये** के लिए जारी निविदा की नियमावली और शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है। मैं इन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूॅं। हमारे फर्म द्वारा समस्त देय वैधानिक शुल्क/राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। हमारे फर्म/संस्था को किसी भी शासकीय/अद्धशासकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेट नहीं किया गया है। हमारे द्वारा जमा निविदा/आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त सह संचालक, जनसंपर्क को होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम : ....

पत्र व्यवहार का पूरा नामः ....

टेलीफोन नंबर : ....

मोबाईल नंबर : ....

स्थान व दिनांकः ....

जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

<u>वित्तीय प्रस्ताव (दरें)</u>

<u>ई–रिक्शा, सीएनजी ऑटो एवं ऑटो–रिक्शा किराये पर लगाने हेतु निविदा दर</u>

क्रं.	ई–रिक्शा / सीएनजी ऑटो / ऑटो रिक्शा नम्बर	ई–रिक्शा / सीएनजी ऑटो / ऑटो रिक्शा मॉडल वर्ष	सीएनजी ऑटो (मासिक 5000 किमी. तक) प्रतिमाह किराया दर	सीएनजी ऑटो प्रतिदिन प्रति किलोमीटर दर	ई–रिक्शा (मासिक 5000 किमी. तक) प्रतिमाह किराया दर	ई–रिक्शा प्रतिदिन प्रति किलोमीटर दर	ऑटो रिक्शा प्रतिमाह किराया दर (मासिक 5000 किमी. तक) पेट्रोल / डीजल	ऑटो रिक्शा प्रतिदिन प्रति किलोमीटर दर पेट्रोल / डीजल
1.								

*जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के सामने, छोटा पारा रायपुर (पुराना कार्यालय भवन) से किलोमीटर का निर्धारण होगा।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता.....................................
....
....
मोबाईल नंबर ....